सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड़ नं-3, पिनकोड़ नं-462016
ई-मेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/सामा.सहा./361 दिनांक 16/09/25

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
3. समस्त आयुक्त नगर निगम मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र. ।

विषय :- पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम अन्तर्गत पेंशन प्रदाय करने बाबत् ।

संदर्भः- अपर सचिव म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण का पत्र क्रमांक/1229/1575/2018/26-2, दिनांक 31.08.2018, संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण का पत्र क्रमांक/सा.सहा./9/2019/1125, दिनांक 01.08.2019 एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/J-11020 / 01/2023-NSAP (e-384096) दिनांक 25.07.2023

----0----

विषयांतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है व सिंगल क्लिक पेंशन वितरण के माध्यम से पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान हितग्राही के खाते में D.B.T. के माध्यम से किया जा रहा है ।

राज्य में 2018 से "पेंशन आपके द्वार" कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी, दिव्यागंजन एवं वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन राशि खाते से निकालने की सुविधा बैंकिग करोस्पोन्डेन्ट (BCS) के माध्यम से ऐसी ग्राम पंचायत में किए जाने के निर्देश है, जो बैंक/ पोस्ट आफिस शाखाओं से 3 K.m. से अधिक दूरी पर स्थित है ।

अतः उक्त के संबंध में समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के पाल में अनुरोध है कि "पेंशन आपके द्वार" कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकिंग करस्पॉन्डेंस (BC) /बैंकिंग सखीज (BSs)/ एस एच जी मेंबर्स /कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों को हितग्राहियों की इच्छानुसार उन्हें उनके खाते से पेंशन आहरण करने तथा संबंधित अधिकारियों को भी उक्त की गहन मानिटरिंग करने हेतु निर्देशित करें एवं यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल जॉच कराकर यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/ 362 दिनांक 16/09/25

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार,भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त संस्थागत वित्त, कृपया समस्त बैकों को आपके स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ नगर पालिका, नगर पंचायत परिषद मध्यप्रदेश आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

2025/NSAP
/2023/Administration

J-11020/01/2023-NSAP

ल्याणी मिश्रा, आई.ई.एस.
Kalyani Mishra, I.E.S.

आर्थिक सलाहकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार, भारत पर्यावास केन्द्र
दूसरी मंजिल, कोर–5ए, नई दिल्ली–110003

Economic Adviser
Ministry of Rural Development
Government of India
India Habitat Centre, 2nd Floor, Core-5-A,
New Delhi-110003

सत्यमेव जयते

G20

DO No. J-11020/01/2023-NSAP (e.384096)

Dated : 25.07.2023

Dear *Sir/Madam,*

As you know, pension beneficiaries under the Schemes of NSAP are predominantly old age, infirm and from economically vulnerable sections of society. Given their physical, social and economic conditions, the NSAP guidelines provide that it should be ensured that these beneficiaries should not travel more than 3 kms to access benefits and those who cannot cover the distance physically, door-step delivery of benefits needs to be ensured.

2. As per our information, pension disbursement method under the Schemes of NSAP in States/UTs is primarily DBT which is in line with the Government of India's stated policy in this regard. However, in areas which lack banking facilities, benefits of the government welfare schemes are usually disbursed through banking correspondents (BCs)/Banking Sakhis (BSs)/SHG members, Common Service Centres (CSC) or through post offices. However, this Department does not have complete details of last-mile delivery of pension to NSAP beneficiaries of your State/UT.

3. Accordingly, I shall be grateful if you could kindly provide us a note detailing measures taken on last mile disbursement of pensions to beneficiaries under NSAP alongwith mapping at the GP level with regard to deployment of BCs/BSs, SHG members, CSCs and postal payment system for ensuring door-step delivery of pensions to the beneficiaries under NSAP.

With regards,

Yours sincerely,

K. Mishra

(Kalyani Mishra)

Centres (CSC) or through post offices. However, this Department does not have

To

Principal Secretaries of States/UTs.

File No. J-11011/2/2024-NSAP (Computer No. 388567)
Generated from eOffice by URMILA KUMARI, DEO(NSAP)-UK, DEO, MORD on 02/05/2025 12:23 pm

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश
1250 तुलसी नगर भोपाल
(Telephone- 0755-2556916, FAX-0755-2552665)
(E-mail address: dpswbpl@nic.in)

क्रमांक/सामा सहा./9/2019/1125 भोपाल, दिनांक 01-08-2019

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

2 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।

3 संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण,

4 अग्रणी जिला प्रबंधक (बैंक)
मध्यप्रदेश।

विषय:- पेंशन आपके द्वार व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशन प्रदाय कराने बाबत।

---0---

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन पेंशन पोर्टल के माध्यमं से किया जा रहा है व सिंगल क्लिक पेंशन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह सामान्यत: 1 तारीख तक राज्य स्तर से पेंशन का भुगतान हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा है।

2 " पेंशन आपके द्वार " व्यवस्था अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी दिव्यागंजन एवं वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह की 7 तारीख को Bcs के माध्यम से ऐसी ग्राम पंचायत में किए जाने के निर्देश है जो बैंक /पोस्ट आफिस शाखाओं से 5 K.m. से अधिक दूरी पर स्थित है।

3 विभाग को विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित बैंकों के Bcs / क्योस्क संचालकों द्वारा हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है, तथा उनके द्वारा हितग्राहियों से अनापेक्षित व्यवहार भी किया जा रहा है जो कि अत्यन्त ही आपत्ति जनक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि पेंशन आपके द्वार व्यवस्था अन्तर्गत संबंधित बैंको/ Bcs / क्योस्क संचालकों को हितग्राहियों की इच्छानुसार उन्हें उनके खाते से पेंशन भुगतान करने तथा हितग्राहियों से अपेक्षित व्यवहार करने हेतु तथा संबंधित अधिकारियों को भी उक्त की गहन मानिटरिंग करने हेतु निर्देशित करें एवं यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल जॉच कराकर यथोचित कार्यवाही भी सुनिश्चित करें ।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक/सामा.सहा./9/2019/ 1125A भोपाल, दिनांक 01-08-2019

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2 मुख्य अग्रणी प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक आफ इंण्डिया 9 ए अरेरा हिल्स भोपाल कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1/8/19

उप संचालक
वास्ते संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश

म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक/1229/1575/2018/26-2 भोपाल दिनांक 31/08/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।
3. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:- "पेंशन आपके द्वार' व्यवस्था के संबंध में।

---0---

5 कि.मी. से भी अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान निश्चित तिथि को निकटस्थ स्थान पर बैंक कारस्पोडेन्ट (बी.सी.) एवं पोस्ट आफिस के माध्यम से प्राप्त हो, इस हेतु प्रदेश के 08 जिलों में पायलेट व्यवस्था के रूप में पेंशन आपके द्वार' व्यवस्था 7 अगस्त, 2018 से प्रारम्भ की गई थी।

2. उक्त् के दृष्टिगत प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण की अध्यक्षता में बैंकों के साथ आयोजित बैठक दिनांक ....

23-08-2018 में निर्णय लिया गया कि पेंशन आपके द्वार व्यवस्था आगामी माह से राज्य के समस्त जिलों में लागू की जाये।

अतः निदेर्शित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बी.सी. केन्द्रों, ब्रान्च पोस्ट आफिस केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 7 तारीख, (उक्त दिवस अवकाश होने पर 1 दिन पहले माह की 6 तारीख) को ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जाये। उक्त के संबंध में समस्त आवश्यक तैयारियां उक्त तिथियों से पूर्व कर ली जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन हितग्राहियों को निर्धारित तारीख को पेंशन प्राप्त होने में असुविधा न हो।

(अलका श्रीवास्तव)
अपर सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृक्रमांक/1230/1575/2018/26-2 भोपाल दिनांक 31/08/2018

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, 1250 तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग